

प्रति निर्णय दिनांक 28-12-2018
स्थगन प्रार्थना पत्र सं. R.M. 13/2018

जुलसिंह बनाम राजस्थान राज्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालौर

28-12-2018 प्रार्थी के वकील उपास्थित/अप्रार्थी की
ओर से सरकारी वकील उपास्थित/प्रार्थी
के वकील ने इस प्रार्थनापत्र को दिनांक
26-12-18 को Not press किया है। अप्रार्थी
की ओर से सरकारी वकील ने कोई आपाती
नहीं की है। अतः प्रार्थी का स्थगन प्रार्थनापत्र
Not press में स्वारेज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।
यह प्रकृता मूल अपील के साथ संलग्न किया जावे।
आदेश से इजलास सुनाया गया।

28/12/18

(डा० नरेन्द्र कुमार धारी)
जालौर (राज.)